पत्रांक-ज्वा0कमि0सेवावाद/ 2015-16/ 1057 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

( सेवावाद- अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 03, सितम्बर-2015

1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उच्च न्यायालय कार्य, इलाहाबाद |

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर,
उच्च न्यायालय कार्य, लखनऊ |

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मा0 सर्वोच्च न्यायालय कार्य, गाजियाबाद |

वर्तमान में कई मामलों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियाँ विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राज्य की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित की गयी विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को विलम्ब के आधार पर निरस्त किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये है | सम्प्रति मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश आनलाइन उपलब्ध रहते है जिनकी इण्टरनेट से डाऊनलोडेड प्रतियों को भेजने में किसी प्रकार का विलम्ब उचित नही है |

अत: एतत् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय ( इलाहाबाद / लखनऊ पीठ ) द्वारा विभाग से सम्बन्धित विशेष अनुज्ञा याचिका / रिट याचिका / टी0टी0आर0 में पारित किये गये आदेशों की इण्टरनेट से डाऊनलोडेड प्रतियाँ अपनी अभ्युक्ति के साथ आदेश पारित होने के 03 दिवस के अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि अनुपालन / विधिक स्टेप लेने में विलम्ब न हो |

3/09/15

( मुकेश कुमार मेश्राम )

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ |